

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, भीलवाडा

पीठासीन अधिकारी—दिव्यराज सिंह चुण्डावत (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या
28 / 2025

दायर दिनांक
07.01.2025

निर्णय दिनांक
14.3/2025

1. भगवानलाल पुत्र पेमा तेली निवासी पुर तहसील भीलवाडा जिला भीलवाडा (राज०)
2. राजूलाल पुत्र पेमा तेली निवासी पुर तहसील भीलवाडा जिला भीलवाडा (राज०)
3. बदामबाई पत्नि पेमा तेली निवासी पुर तहसील भीलवाडा जिला भीलवाडा (राज०)
4. लादी पुत्री पेमा जाति तेली निवासी पुर तहसील भीलवाडा जिला भीलवाडा (राज०)

— प्रार्थी

बनाम

1. सत्यनारायण पुत्र रामचन्द्र विश्नोई निवासी दधिमती माता मन्दिर के पास, आजाद नगर, भीलवाडा जिला भीलवाडा (राज०)
2. शकरलाल पुत्र भीमराज तेली निवासी पुर तहसील भीलवाडा जिला भीलवाडा (राज०)
3. कुकाराम पुत्र मगना तेली निवासी पुर तहसील भीलवाडा जिला भीलवाडा (राज०)
4. गोपीलाल पुत्र मगना तेली निवासी पुर तहसील भीलवाडा जिला भीलवाडा (राज०)
5. नारायण पुत्र प्यारा तेली निवासी पुर तहसील भीलवाडा जिला भीलवाडा (राज०)
6. बन्शीलाल पुत्र गिरधारीलाल तेली निवासी पुर तहसील भीलवाडा जिला भीलवाडा ।
7. राजु पुत्र प्यारा तेली निवासी पुर तहसील भीलवाडा जिला भीलवाडा (राज०)
8. रामचन्द्र पुत्र मोहन तेली निवासी पुर तहसील भीलवाडा जिला भीलवाडा (राज०)
9. रामपाल पुत्र गिरधारीलाल तेली निवासी पुर तहसील व जिला भीलवाडा (राज०)
10. भगवतीलाल पुत्र रामेश्वर तेली निवासी पुर तहसील व जिला भीलवाडा (राज०)
11. लादू पुत्र छोगा तेली निवासी पुर तहसील भीलवाडा जिला भीलवाडा (राज०)
12. शान्तिलाल पुत्र मोहन तेली निवासी पुर तहसील भीलवाडा जिला भीलवाडा (राज०)
13. राजस्थान राज्य जरिऐ तहसीलदार, भीलवाडा जिला भीलवाडा (राज०))

— विपक्षीगण

उपस्थित:—अधिवक्ता प्रार्थी श्री श्रृवण कुमार सेन
अप्रार्थी संख्या 01 से लगाकर 12 उपस्थित नहीं

—: प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 व 128 आर०एल०आर एक्ट :-

उपखण्ड अधिकारी
भीलवाडा

संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थीगण ने विपक्षीगण के विरुद्ध प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 व 128 राज0 भू राजस्व अधिनियम, 1956 प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम पुर पटवार हल्का पुर भू-अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र पुर तहसील व जिला-भीलवाड़ा की सरहद में हम प्रार्थीगण की कृषि आराजी संख्या 8667 रकबा 0.2276 हेक्टेयर, आराजी 8668 रकबा 0.1897 हेक्टेयर, आराजी नम्बर 8672 रकबा 0.5184 हेक्टेयर, आराजी नम्बर 8673 रकबा 0.4299 हेक्टेयर, आराजी नम्बर 8674 रकबा 0.0759 हेक्टेयर, आराजी नम्बर 8676 रकबा 0.4299 हेक्टेयर कुल किता 06 कुल रकबा 1.8714 हेक्टेयर भूमि स्थित है। प्रार्थी की खातेदारी एवं कब्जे काशत की है और प्रतिवादी गैर-बहस के पडौसी खातेदारान है। प्रार्थीगण एवं विपक्षीगण की आराजियात के बीच कोई स्थाई सीमा चिन्ह नहीं होने के कारण विवाद होता रहता है। अतः प्रार्थीगण खातेदारी आराजियात की मौके पर अभिलेख अनुसार नपती की जाकर मौके पर स्थाई सीमा चिन्ह स्थापित कराना चाहता है। प्रार्थी वर्णित भूमि के खातेदार काशतकार है।

इस पर प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। प्रार्थी संख्या 01 से लगायत 12 उपस्थित नहीं। प्रार्थी अधिवक्ता उपस्थित। वकील प्रार्थीगण द्वारा प्रकरण का निस्तारण आज ही किये जाने की ईशतदुआ की गई। हाजिर वकील प्रार्थीगण द्वारा निवेदन किया गया कि मामला पत्थरगढी का है व प्रार्थी अपनी आराजियात की पत्थरगढी कराना चाहते हैं। हमने प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया। चिंतन मनन किया एवं पत्रावली को वास्ते आदेश नियत किया गया।

मैंने पत्रावली में प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत राजस्व अभिलेख नकल जमाबन्दी का अवलोकन किया गया। प्रकरण के तथ्यों व बहस पर मनन किया। प्रार्थी आराजियात जैरबहस के खातेदार काशतकार होकर इन्हे आराजियात जैर बहस की नपती करा सीमांकन (पत्थरगढी) कराने का अधिकार निहित है। उपर्युक्त विवेचन के क्रम में प्रार्थीगण प्रार्थना पत्र में अंकित भूमि के खातेदार होने से सीमांकन (पत्थरगढी) कराने के अधिकारी होने से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 व 128 राज0 भू राजस्व अधिनियम, 1956 स्वीकार किया जाता है।

तहसीलदार भीलवाड़ा को सीमांकन(पत्थरगढी) कराने का आदेश दिया जाता है कि ग्राम पुर पटवार हल्का पुर भू-अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र पुर तहसील व जिला-भीलवाड़ा की सरहद में हम प्रार्थीगण की कृषि आराजी संख्या 8667 रकबा 0.2276 हेक्टेयर, आराजी 8668 रकबा 0.1897 हेक्टेयर, आराजी नम्बर 8672 रकबा 0.5184 हेक्टेयर, आराजी नम्बर 8673 रकबा 0.4299 हेक्टेयर, आराजी नम्बर 8674 रकबा 0.0759 हेक्टेयर, आराजी नम्बर 8676 रकबा 0.4299 हेक्टेयर कुल किता 06 कुल रकबा 1.8714 हेक्टेयर भूमि स्थित है। भूमि कृषि भूमि की पत्थरगढी कार्य संपादन से पूर्व फरिकेन मुकदमा को सूचित किया जावे। पत्थरगढी का आशय पक्षकारों की उपस्थिति में निशानात कायम करने भर से है। इस आदेश में किसी पक्ष की बेदखली व कब्जा देने की कार्यवाही नहीं की जाए तथा किसी न्यायालय का स्थगन न हो तो एवं मौके पर फसल खडी न हो तो बन्दोबस्ती नक्शे अनुसार नपती की जाकर सीमा चिन्ह स्थापित कर सीमांकन(पत्थरगढी) हेतु तहसीलदार भीलवाड़ा को 1000-00 अक्षरे एक हजार रुपये शुल्क पर मौका कमिश्नर नियुक्त किया जाता है, कमिश्नरी शुल्क रिकार्ड विधिवत संधारित किया जाकर पालना रिपोर्ट मय पर्चा मौका आगामी 15 दिवस में आवश्यक रूप से पेश करे, तथा कमिश्नरी फीस प्रार्थीगण से मौके पर प्राप्त करे। तहसीलदार भीलवाड़ा को तहरीर जारी करे।

पत्रावली की निर्णित इन्द्राज की जाकर बाद आवश्यक कार्यवाही अभिलेखागार में भिजवाई जावे। निर्णय आज दिनांक 04/03/2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(निर्णय) अधिकारी
उप-भीलवाड़ा अधिकारी
भीलवाड़ा